नेशनल सोसायटी बनाम हि[illegible]

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	21/2021 आज्ञा विस्तृत रूप से
	15/5/25	पत्रावली पेश, हुई वकील उभयपक्ष [illegible] वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र [illegible] कुरैजात पेश किया। वास्ते [illegible] कुरैजात हेतु पत्रावली दिनांक 5/6[illegible] को पेश हो उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	5/6/25	पत्रावली पेश हुई। [illegible] अन्य राज्य कार्य में [illegible] अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 6/6/25 को पेश हो।
	6/6/25	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष अ[illegible] तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुरैजात रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 21/2021
निर्णय दिनांक : 06.06.2025

उनवान

1. नेशनल सोसायटी फोर इन्जिनीयरिंग रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट प्लाट-26 श्रीजीपुरा कालोनी, सिविल लाईन्स, जयपुर सचिव अर्पित अग्रवाल जरिये मुख्तारखास कन्हैयालाल शर्मा पुत्र श्री हरीनारायण शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी ढीगावाली ढाणी ग्राम बम्बाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर। वादी

बनाम

1. हिरालाल पुत्र काना जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम सुखपुरा तहसील सांगानेर जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ,तहसील सांगानेर जिला-जयपुर प्रतिवादीगण

वाद बाबत् तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा तथा सीमाज्ञान अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956

अंतिम डिक्री निर्णय

वादी ने वाद बाबत् तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा तथा सीमाज्ञान अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 111, 128 भू- राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। जिसमें न्यायालय द्वारा वादी के वाद में दिनांक 24.01.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि वादी व प्रतिवादी संख्या एक कृषि भूमि खसरा नम्बर 48 रकबा 0.1400 हैक्टेयर कुल किता 01 रकबा 0.1400 हैक्टेयर स्थित ग्राम सुखपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के सहखातेदार काश्तकार है तथा वादी के हिस्सा 7/8 तथा प्रतिवादी का हिस्सा 1/8 राजस्व अभिलेखो मे अभिलिखित है तथा वाद संख्या 21/2021 को डिक्री किये जाने बाबत प्रतिवादी सख्या एक के द्वारा अनापति जाहिर की है तथा प्रतिवादी संख्या एक के द्वारा पृथक से वाद संख्या 20/21 प्रस्तुत कर विवादग्रस्त भूमि का विभाजन संलग्न नक्शे के अनुसार चाहा गया है विधि अनुसार जब तक सहकाश्तकारो के मध्य विधिवत विभाजन नही हो जाता है तो प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा माना जायेगा इसलिए प्रतिवादी का वाद इस अनुरुप डिकी नही किया जा सकता है बल्कि बाई मीटस बाउण्ड डिकी किया जा सकता है। वादी का वाद संख्या 21/21 व प्रतिवादी का वाद संख्या 20/21 भी बाई मीटस बाउन्डस के आधार पर डिकी किया जाना न्यायोचित है। अत वादी का वाद तथा प्रतिवादी का नाद प्रारम्भिक रुप से डिकी किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या दो तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटस बाउण्डस विभाजन कर पृथक पृथक खाता व लगान कायम कर कुरेजात मय नक्शा दिनांक 15.09.2021 से पूर्व पेश किये जाने का आदेश

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पारित किया। वादी ने आवेदन अन्तर्गत धारा 152 सि0प्र0 संख्या 1908 का पेश किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र कमांक मु0अ0/कुर्रेजात/2024/2167 दिनांक 19.03.2025 के संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो मे प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

वकील उभयपक्षो की कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है। वकील प्रतिवादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट आपत्ती प्रस्तुत की। प्रतिवादीगण की आपत्ती का वादी ने जवाब पेश किया है प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात खारिज किया जाता है।

पत्रावली, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का आद्योपान्त अवलोकन करने पर व वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वादीगण का वाद तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में आंशिक संशोधन करे हुए मुताबिक संशोधन कुर्रेजात रिपोर्ट वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः ग्राम सुखपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या एक कृषि भूमि खसरा नम्बर 46 रकबा 0.1400 हैक्टेयर कुल किता 01 रकबा 0.1400 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट(संशोधित कुर्रेजात) अनुसार निम्न प्रकार किया जाता हैः–

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज

क्र.सं.	खाता संख्या	खातेदार	खसरा नम्बर	रकवा	किस्म	लगान
1	35	1. नेशनल सोसायटी फोर इंजिनियरिंग रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट हिस्सा 7/8 25 श्री रामपुरा कॉलोनी सिविल लाईन्स जयपुर खातेदार अ.वि.व सचिव अर्पित अग्रवाल 2. हीरालाल पुत्र काना हि. 1/8 जाति ब्राम्हण सा. देह खातेदार	46	0.14	चाही 2	3.57
		कुल किता	1	0.14 है0		3.57

प्रस्तावित कुर्रेजात इन्द्राज

क्र.सं.	किस्म	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकवा	लगान	रंग
1.	चाही 2	नेशनल सोसायटी फोर इंजिनियरिंग रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट हिस्सा सम्पूर्ण 25 श्री रामपुरा कॉलोनी सिविल लाईन्स जयपुर खातेदार अ.वि.व सचिव अर्पित अग्रवाल	46	0.11	2.81	गुलाबी
		कुल किता	4	0.11 है0		
2.	चाही 2	हीरालाल पुत्र काना हि. सम्पूर्ण जाति ब्राम्हण सा. देह खातेदार	46/1	0.0170		हरा
		कुल किता	4	0.0170 है0		

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

	चाही 2	1. नेशनल सोसायटी फोर इंजिनियरिंग रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट हिस्सा 3/4, 25 श्री रामपुरा कॉलोनी सिविल लाईन्स जयपुर खातेदार अ. वि.व सचिव अर्पित अग्रवाल 2. हीरालाल पुत्र काना हि. 1/4 जाति ब्राम्हण सा.देह खातेदार	46/2	0.0130		
		कुल किता	1	0.0130 है0		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी ा तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये था कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में मलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम क्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर